(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, और

(ग) इन योजनाओं के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार प्राप्त होगा?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच॰ पटेल): (क) से (ग) केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा 1995-96 के लिए उनके बजट भाषण में घोषित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 से लागू कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय की मार्फत कार्यान्वित किये जाने वाले इस कार्यक्रम के तीन घटक निम्नलिखित हैं:—

(i) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

(ii) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

(iii) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना

वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत 65 वर्ष और इससे उपर की आयु के असहाय वृद्ध व्यक्ति को प्रतिमाह 75 रुपये की पेंशन दी जायेगी बशर्ते कि वह अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करता हो। पारिवारिक लाभ घटक के अन्तर्गत गरीबी की रेखा से नीचे के किसी परिवार के 18-64 वर्षों के आयु वर्ग के मुख्य जीविकोपार्जक की प्राकृतिक कारणों से मृत्यु हो जाने पर शोकाकुल परिवार को 5,000 रुपय की एक राशि दी जायेगी। यदि मृत्यु दुर्घटना के कारण होती है तो 10,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। अंतिम घटक मातृत्व लाभ है जिसके अंतर्गत अतिरिक्त पोषक आहार के लिए गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवार की 19 वर्ष और उससे अधिक आयु की गर्भवती महिला को पहले दो जीवित बच्चों तक 300 रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाएगा। यह योजना केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को शत-प्रतिशत सहायता दी जाएगी। विभिन्न घटकों के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वार्षिक अर्हकारी वित्तीय सहायता निम्नानुसार होगी:—

1. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना—480.20 करोड़ रुपए

2. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना—193.60 करोड़ रुपए

3. राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना—136.54 करोड़ रुपए

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, रोजगार उन्मुख कार्यक्रम नहीं है इसलिए कार्यक्रम के विभिन्न घटकों की मार्फत रोजगार सृजन नहीं होता है।

Social Responsibility of PSUs

2310. SHRI V. RAJESHWAR RAO.
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR.

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state (a) Whether there is a problem of arriving at a general defination of 'social responsibility' of Public Sector Undertakings;

(b) if so, what steps are being taken to surmount this problem;

(c) whether social responsibility should form a part of the Corporate strategy of the PSUs; and

(d) if so, what has been done by Government about it?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (d) The Department of Public enterprises has issued an Office Memorandum on 29.11.1994 regarding social obligations of Central Public enterprises. It is for the individual Public sector Undertakings to identify and implement its social responsibilities keeping in view its financial ability to sustain such activities, operating environment and provisions in its Memorandum of Association/ Statutue. The Public Sector Undertakings enjoy full autonomy in this regard.

Legal opinion sought against Reliance Industries.

2311. SHRI KANAKSINGH MOHANSINGH MANGROLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state (a) what is the total number of cases received from various ministries/ departments for seeking legal opinion on criminal cases against the directors/ executives of Reliance Group of Industries, Ministry-wise;